न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद सख्या : 134/2012

1. दौलतराम पुत्र रंगलाल
2. मदनलाल पुत्र गजानन्द
3. तेजमल पुत्र रामनारायण
4. राधेश्याम दत्तक पुत्र दुलीचन्द

जातियान मीणा निवासीगण जारेला तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. पुष्पा पुत्री गोपीलाल
2. गुलाब पुत्री गोपीलाल मृतक
   2.1 राम कल्याण पुत्र गुलाब
3. लटूरलाल पुत्र कालू
4. रामेश्वर पुत्र कालू
5. जानकी बाई पुत्री कालू
6. प्रेमा बाई पत्नि कालू मृतक

जातियान मीणा निवासीगण जारेला तह0 मांगरोल जिला बारां

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर.टी.एक्ट.

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार आर्य
दायरा दिनांक: 07.03.2012

निर्णय दिनांक : 12.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ग्राम जारेला की साबिक जमाबंदी सम्वत 2015 से 2019 में गोपीलाल, कालू, गजानन्द, रामनारायण, दुलीचन्द, दौलतराम पुत्रान रंगलाल जाति मीणा के नाम साबिक खसरा नं0 224/86 की 17 बिस्वा व खसरा नं0 87 की 19 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज थी। उक्त भूमियों के सेटलमेंट द्वारा खसरा नं0 224/86 रकबा 17 बिस्वा के खसरा नं0 81 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नं0 87 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा के 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि केवल गोपीलाल कालूलाल पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी जारेला के नाम साबिक जमाबंदी सम्वत 2017 से 2010 में दर्ज की गई इस प्रकार कुल 2 किता रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज हुई तथा उक्त साबिक जमाबंदी में गजानन्द, रामनारायण, दूलीचन्द व दौलतराम पुत्रान, रंगलाल के नाम उपरोक्त भूमियों से हटा कर केवल गोपीलाल, कालूलाल के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में गोपीला

गजानन्द, रामनारायण, दूलीचन्द का स्वर्गवास हो चुका है, केवल दौलतराम पुत्र रंगलाल ही हैं। सजरा निम्नअनुसार है।

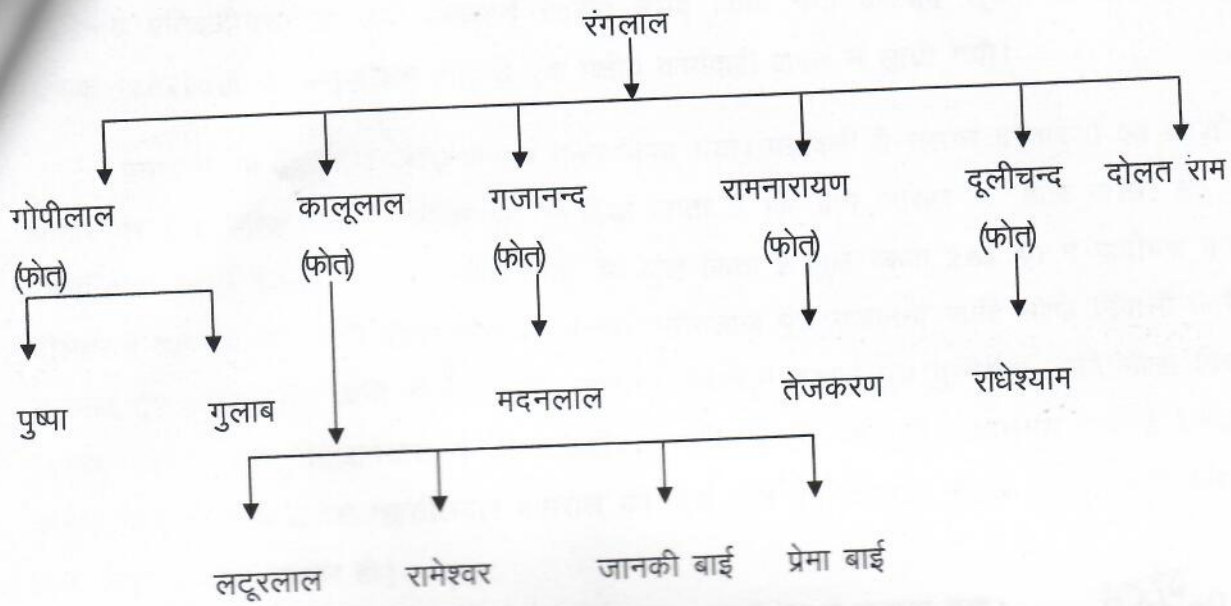

पारिवाकि सजरे के मुताबिक उपरोक्त भूमियां साबिक जमाबंदी के अनुरूप उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण के नाम हाल जमाबंदी में दर्ज होनी चाहिए थी। वर्तमान जमाबंदी पूनः सेटलमेंट अधिकरियो ने साबिक खसरा नं0 81 रकबा 17 बिस्वा के हाल खसरा नं0 126 रकबा 0.09 है0 व साबिक खसरा नं0 92 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नं0 127 रकबा 2.75 है0 यानि कुल किता 2 कुल रकबा 2.84 है0 भूमिया जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई, जबकि उपरोक्त भूमियां साबिक जमाबंदी के मुताबिक वादीगण के नाम भी दर्ज होना चाहिये इस प्रकार अवैधानिक तरिके से उपरोक्त भूमियो से वादीगण के पिता का नाम हटाकर केवल प्रतिवादीगण के पिता के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया जो केवल गैर कानूनी है। इस प्रकार अवैधानिक रूप से नाम हटाये जाने का कानूनी प्रावधान नही है। अतः निवेदन है कि वादीगण का नाम साबिक जमाबंदी सम्वत 2013 से 2019 के मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 में प्रतिवादीगण के साथ हाल खसरा नं0 126 रकबा 0.09 है0 व खसरा नं0 177 रकबा 2.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.84 है0 में अंकन कर खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण नं0 7 को हाल राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.03.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य ने वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी वकील ने दिनांक 06.07.2017 को निवेदन किया कि राजस्व शिवि

23.06.2015 को वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो ने उपस्थित होकर राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर दिया पत्रावली में राजीनामा तस्दीक के हस्ताक्षर नही है जिससे इसे स्वीकार नही किया जा सकता। पश्चात प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड ऐ0डी0 तलब किया गया बावजूद सूचना प्रतिवादीगण आज दिनांक 12.03.2018 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जारेला की हाल खसरा नं0 126 रकबा 0.09 है0 व खसरा नं0 177 रकबा 2.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.84 है0 में वादीगण कमशः दौलतराम पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी जारेला, मदनलाल पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी जारेला, तेजमल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी जारेला, राधेश्याम दत्तक पुत्र दुलीचन्द जाति मीणा निवासी जारेला को भी अन्य सहखातेदारो के साथ खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।